बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या-पी0पी0एम0–40 / 2016 3246 / कृ0, पटना, दिनांक 16-08-2017

प्रेषक,

सुधीर कुमार
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित। द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)**

विषय : **राज्य सरकार द्वारा धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य के उपर बोनस राशि की स्वीकृति के फलस्वरूप धान बीज उत्पादक किसानों को वर्ष 2014–15 के बकाया बोनस भुगतान हेतु वर्ष 2017–18 में सामान्य जाति वर्ग के किसानों के लिए 3365694.00 रू0 (तेतीस लाख पैंसठ हजार छः सौ चौरानवे रू0) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश :– स्वीकृत।

राज्य सरकार द्वारा धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य के उपर बोनस राशि की स्वीकृति के फलस्वरुप धान बीज उत्पादक किसानों को वर्ष 2014–15 के बकाया बोनस भुगतान हेतु वर्ष 2017–18 में सामान्य जाति वर्ग के किसानों के लिए 3365694.00 रू0 (तेतीस लाख पैंसठ हजार छः सौ चौरानवे रू0) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–1133 दिनांक 09.03.2017 के क्रम में यह स्वीकृति प्रदान की जा रही है। 2016–17 में इस स्वीकृत राशि की निकासी अपरिहार्य कार्यवश नहीं हो सकी थी। अतः सामान्य जाति वर्ग के उक्त किसानों के बकाया बोनस भुगतान हेतु 3365694.00 रू0 (तेतीस लाख पैंसठ हजार छः सौ चौरानवे रू0) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3. वर्ष 2015–16 में बिहार राज्य बीज निगम को खरीफ 2014 के अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों के धान बीज के बकाया बोनस भुगतान मद में 198000.00 रू0 (एक लाख अंठानवे हजार रूपये) उपलब्ध कराया गया था। अनुसूचित जनजाति वर्ग के बीज उत्पादक किसान के नहीं रहने के कारण उक्त अव्यवहृत राशि निगम के पी0एल0 खाता में अवशेष है। उक्त अवशेष राशि को निगम द्वारा प्रत्यार्पित कर विभाग को अविलम्ब संसूचित किया जायेगा।

4. निकासी हेतु स्वीकृत राशि 3365694.00 रू0 (तेतीस लाख पैंसठ हजार छः सौ चौरानवे रू0) की निकासी मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि–कर्म, उप मुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष–103–बीज, मांग सं0–01, उपशीर्ष–0109–बीज गुणन फार्मो का विस्तार खेती पर व्यय, विपत्र कोड–01–2401001030109, विषय शीर्ष–0109.31.06– सहायक अनुदान गैर वेतन वर्ष 2017–18 में उपबंधित 331.50 लाख रू0 में से विकलनीय होगा।

5. स्वीकृत राशि की निकासी कृषि निदेशक, बिहार, पटना द्वारा BTC-42 फार्म में सचिवालय कोषागार, पटना से कर बिहार राज्य बीज निगम के पी0एल0 खाता सं0– PLA 271 में हस्तांतरित की जायेगी। बिहार राज्य बीज निगम द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी एवं इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार के कार्यालय में भेजी जायेगी। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने का भी अनिवार्यता होगी। बिहार राज्य बीज निगम द्वारा इस योजना के लिए अलग से लेखा संधारण सुनिश्चित किया जायेगा। महालेखाकार, बिहार को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

6. वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में प्रधान सचिव, कृषि की स्वीकृति संचिका संख्या– पी0पी0एम0–40 / 2016 के पृ0सं0– 27 / टि. पर दिनांक : 01.08.2017 को प्राप्त है।

7. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या– 7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– पी0पी0एम0–40 / 2016 के पृ0सं0– 29 / टि0 पर दिनांकः 10.08.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/- 12.8.2017

(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पी0पी0एम0–40 / 2016 3246 / कृ0, पटना दिनांक– 16-08-2017

प्रतिलिपिः– योजना एवं विकास विभाग / मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 12.8.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पी0पी0एम0–40 / 2016 3246 / कृ0, पटना दिनांक– 16-08-2017

प्रतिलिपिः– सचिवालय कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 12.8.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पी0पी0एम0–40 / 2016 3246 / कृ0, पटना दिनांक– 16-08-2017

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव / कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव / प्रधान सचिव, कृषि विभाग के आप्त सचिव / कृषि निदेशक / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम लि0, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, उप निदेशक (शष्य) बीज, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना / सभी जिला कृषि पदाधिकारी / सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) / सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी / उप निदेशक (शष्य) प्रक्षेत्र / प्रभारी बजट पदाधिकारी, कृषि विभाग, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु / उप निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह0/- 12.8.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

रवि